जारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001
Email id-ceo_uttaranchal@eci.gov.in**फैक्स नं0 (0135)** 2713724**फोन नं0 (0135) – 2713551**

संख्या 264 /XXV–12 (P-14)/2021 देहरादूनः दिनांक 23 फरवरी, 2026

पंजीकृत

सेवा में,

श्री सुरेन्द्र सिंह थापा,
174–पंडितवाडी–प्रेमनगर
जिला देहरादून। पिन–248001
मो0–9897866488

विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना चाहने बावत।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपका अनुरोध पत्र दिनांक 12.02.2026 इस कार्यालय में दिनांक 16.02.2026 को प्राप्त हुआ है, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 1 से 4 तक की सूचना की मांग की गई है।

उक्त सम्बन्ध में अवगत करना है कि आपके वर्णित पत्र से सम्बन्धित सूचनायें आपको इस कार्यालय के पत्र संख्या–99 दिनांक 22.01.2026 के द्वारा पूर्व ही उपलब्ध करवाई जा चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान समय में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत प्रत्येक जिला निर्वाचन कार्यालय हेतु जनपद स्तर पर एक–एक लोक सूचना अधिकारी तैनात/कार्यरत हैं। सम्बन्धित जिला निर्वाचन कार्यालय से नियमानुसार सूचना प्राप्त की जा सकती हैं।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि आप असंतुष्ट हो तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

भवदीय,

Digitally signed by BASANT SINGH RAWAT
Date: 20-02-2026 12:12:44

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0 9411740189

अपीलीय अधिकारी का पता
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून–248001
मो0नं0–9897995591

(3) 16/2/26 (58)

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-6 के अधीन आवेदन
दि॰ 12 फरवरी 2026

समक्ष
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय - मुख्य निर्वाचन अधिकारी - उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल
सचिवालय परिसर - 4 सुभाष रोड - देहरादून - 248001
माँगी गयी सूचना का विवरण -

सूचना के इस आवेदन के साथ हमारे द्वारा सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित पत्र दि॰ 3/2/2026 का संज्ञान लें जिसके माध्यम से हमारे द्वारा नागरिकों की समस्याओं / जिज्ञासाओं के सम्बन्ध में निर्वाचन विभाग को बिन्दुवार जानकारी दी गयी थी, जो कि वर्तमान में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) से ही सम्बन्धित है तथा समस्या केवल प्रदेश की ही नहीं, अपितु संपूर्ण भारत से सम्बन्धित है। उक्त पत्र संज्ञान लेते हुए आपका जन हित में निम्न बिन्दुओं पर स्पष्ट सूचना उपलब्ध करायें

(1) जो नागरिक उत्तराखण्ड में वर्ष 2000 के बाद 15-20 वर्षों से निवासरत हैं, सर्वाधिकों के अतिथि प्रदेश की मतदाता सूची में नाम भी नहीं है ऐसी अवस्था में सम्बन्धित व्यक्ति से वर्ष 1987 से निवास का प्रमाण मांगा जाना, जिस विधि/नियम में निर्दिष्ट है उसकी सत्यापित प्रति उपलब्ध करायें

(2) इस प्रदेश में वर्षों से निवासरत भू-अभिलेखों से सम्बन्धित कोई दस्तावेज नहीं है (विशेषकर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति) ऐसे व्यक्तियों से भू-अभिलेख के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों को मान्यता दी है, उन सभी दस्तावेजों की सूची को चिन्हित करते हुए, सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।

(3) जिन बच्चों के पिता के भारतीय सेना के रिकार्ड में नेपाल का पता लिखा है, वे बच्चे और उनके माता पिता भारत में ही बस गये हैं तथा बच्चों का जन्म एवं शिक्षा दीक्षा भारत में ही हो रही है, ऐसे सभी बच्चों के नाम SIR प्रक्रिया में शामिल करने हेतु एवं वोटर पहचान पत्र बनाने हेतु जो भी प्रावधान निर्दिष्ट हैं / विचाराधीन हैं, उन सभी को प्रदर्शित करने वाले दस्तावेज उपलब्ध करायें,

(4) नेपाल से विवाह कर लायी गयी वधुओं को जिन दस्तावेजों के आधार पर एस॰ आई॰ आर॰ प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा, उन सभी दस्तावेजों की सूची चिन्हित करते हुए उपलब्ध करायें,

महोदय। उपरोक्त सूचनाओं / जानकारियों को आपका जनहित में माँगा जा रहा है, यदि उपरोक्त सूचनाओं से सम्बन्धित कोई जानकारी दस्तावेजी रूप में उपलब्ध नहीं तब निवेदन है कि ऐसी पृच्छाओं का समाधान शासन स्तर से निकालते हुए हमें भी उपलब्ध कराने की कृपा करें।

संलग्न - 10/- का Postal order No. - 72F990409
नोट - इस पोस्टल ऑर्डर का शीर्ष खाली छोड़ गया है जो॰ पर॰ अधि॰ से अपेक्षा है कि अपने कार्यालय में प्रचलित लेखाशीर्ष लिखकर भुगतान प्राप्त करें।

12/2/26

भवदीय
सुरेन्द्र सिंह थापा
संगठन सचिव
174 पंडितवाड़ी, शाहपुर
शहीद कपिल थापा मार्ग, निकट काली मन्दिर
प्रेमनगर - देहरादून 248001
9897866488

Dele 3/2/26

सेवा मे,

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,

सचिवालय परिसर 4 - सुभाष रोड देहरादून - 248001

विषय : व्यपाक देश हित और समाज हित मे एस आई आर प्रकिया मे नागरिकों के संग आ रही समस्या के समाधान हेतु निवेदन

महोदय,

जैसा कि आपके संज्ञान मे हैं कि, हमारे द्वारा विकास नगर ग्राम बाढ़वाला देहरादून के नागरिकों के अनुरोध पर एस आई आर की जानकारी देने हेतु दिनांक :10/1/26. को एक कार्यशाला की गईं थी,जहाँ कुछ पीड़ित नागरिकों द्वारा कुछ सवाल किये गये /समस्याओ से हमें अवगत कराया गया और समाधान माँगा, क्योकि हम एस आई आर प्रकिया से भली भांति परिचित नही थे, इसलिए उनके सवालों का उस वक्त कोई भी जवाब देना हमें उचित नही लगा, पीड़ित नागरिकों के द्वारा जो समस्या बताई गईं जो निम्नलिखित हैं -

(1) हमें यहाँ रहते हुए 15, 20 साल हो गये मगर संबंधित अधिकारी हमसे 1987 का रिकॉर्ड मांगते हैं, अब हम 1987 का रिकॉर्ड कहा से लाये ?

(2) बुजुर्गो द्वारा ग़रीबी के कारण कोई जमीन जायदाद नही खरीद सके हम लोग का जीवन किरायेदारी मे ही गुजर रहा हैं, संबंधित अधिकारी जमीन के कागज मांगते हैं, ऐसे मे हम कहा से जमीन जायदाद कागज़जात लेकर आए.?

कुछ नेपाली नागरिक भी थे जिनकी द्वारा निम्नलिखित हैं समस्या बताई गईं -

(1) हम लोग नेपाल से भारतीय सेना मे भर्ती हुए थे,भारत देश की सेवा के उपरांत हमारे बच्चे यही पैदा हुए यही उच्च शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और हम रिटायरमेंट के बाद भारत मे ही बस गये, मगर हमारे बच्चो के आवेदनो को इसलिए निरस्त कर दिया जा रहा कि, आपके पिता के आर्मी रिकॉर्ड मे नेपाल का पता लिखा हैं ऐसे मे हमारे बच्चे और हम कैसे एस आई प्रकिया पूरा कर सकेंगे?

(2) कुछ महिलाओ का कहना था कि हमारा मायका नेपाल हैं और हमारा विवाह एक भारतीय पुरुष से हुआ हैं और अब भारत मे बस गईं हैं, ऐसे मे क्या हम नेपाल की बेटी जो अब भारत मे बहु बनकर आई हैं एक नेपाली माता पिता का रिकॉर्ड जमा कर एस आई आर मे वोटर बन सकते हैं?

महोदय आपसे निवेदन हैं कि -व्यपाक देश हित और समाज हित मे एस आई आर प्रकिया मे उपरोक्त नागरिकों के संग आ रही समस्याओ का संज्ञान लेते हुए बिंदवार समस्यायो का निम्लिखित समाधान करने का कस्ट करे

(1) क्या जो व्यक्ति /परिवार उत्तराखंड मे 1987 के बाद से 15, 20 से साल निवास कर रहा हैं उसे भी 1987 का रिकॉर्ड दिखाना जरूरी हैं

(2) जो व्यक्ति/परिवार वर्षो से निवास कर रहे मगर उनके नाम पर कोई जमीन ज्यादाद नही हैं तो क्या ऐसे व्यक्ति/परिवार एस आई आर प्रकिया से बाहर हो जायँगे

(3) नेपाल से भर्ती फौजी जो यही बस गये जिनके पिता के पते पर नेपाल का पता अंकित हैं उनके बच्चों के लिये क्या प्रावधान हैं,

(4) नेपाली बेटी जो भारत के पुरुषो संग विवाह कर भारत मे बस गई उनके लिए क्या प्रावधान हैं

(5) भारत- नेपाल 1950 सन्धि अनुसार नेपाल से विस्थापित हुए परिवारों ने यह भी अवगत कराया था कि हमें यहाँ रहते हुए 30,40 वर्ष हो गये हैं अब हमारा नेपाल से कोई संबंध नही रहा मगर फिर भी हमारा वोटर आई डी इसलिए नहीं बनाते की हम नेपाल के है हमारे पास कोई भी जमीन के कागज भी नही हैं किराये के मकानों मे ही निवास करते आ रहे हैं

ऐसे व्यक्तियों के लिए एस आई आर क्या प्रावधान हैं

यह भी संज्ञान लाना हैं कि आर टी आई से प्राप्त जानकारी मे संगलग्न - "Enumeration Form" के DELARATION के एक बिंदु मे उल्लेख किया गया हैं कि -. "If any parent is not Indian, provide a copy of his/her valid passport & visa at the time of your birth"

महोदय संज्ञान मे लाना हैं कि भारत- नेपाल के बीच 1950 की सन्धि अनुसार वीजा पास पोर्ट का का कोई प्रावधान ही नही हैं, और दोनों देशो मे किसी के भी नागरिक को अवैध निवासी नही माना जाता देंखे Annexure C 24,25

अत : महोदय से निवेदन हैं कि - व्यापक देश हित और समाज हित मे हमारे द्वारा नागरिको की जो समस्याए आपके समक्ष बिंदुवार रखी गयी हैं उन उपरोक्त बिंदुवार समस्याओ का अविलम्ब समाधान करते हुए एस आई आर प्रक्रिया को नागरिकों के हित मे सरल बनाते हुए हमें अवगत काराने का कस्ट करे,

"अवैध घुस ना पाए, वैध छूट ना पाए"

तभी एस आई आर प्रक्रिया मकसद पूरा होगा

धन्यवाद

भवदीय

3/12/26

सुरेंद्र सिंह थापा

संगठन सचिव आर टी आई क्लब उत्तराखंड –

174 पंडितवाड़ी,शाहपुर,शहीद कपिल थापा मार्ग,

नजदीक काली मंदिर, प्रेमनगर देहरादून उत्तराखंड- 248007,

9897866488